

प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूप:-

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम:- द्वितीय वृत्त, मेरठ

परिषद दिवस के आयोजन का दिनांक:-18.06.2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय-(तत्काल /7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाईटी, (रजि०), 119, बाग, भटियारी, जी०टी० रोड, पालिका बाजार के पास गाजियाबाद, मो० नं०-09810046733	अनिर्माण शुल्क माफ करने व निर्माण समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में		15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग, गाजियाबाद के पत्रांक 7303/ स०प्र० गाजि० दिनांक 15.9.15 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर मुख्यालय स्तर से लिया जाना है।	
2	डा० यतेन्द्र कुमार 765/6 जागृति विहार मेरठ, मो० नं०-9456419777	जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच-1 के कारण हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 896/ जी-15/ 101 दिनांक 09.7.15 द्वारा आवेदक को बिन्दुवार 11 बिन्दुओं पर विस्तृत सूचना प्रेषित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है।	निस्तारित
3	श्री दीवान चन्द्र, 202/3 जागृति विहार मेरठ, मो० नं०-9897161727	श्री दिनेश शर्मा द्वारा फर्जी मुख्तारनामा लगाकर अपनी पत्नी श्रीमती शिक्षा शर्मा के नाम रजिस्ट्री करवाये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ के पत्रांक 4573 दिनांक 15.10.15 द्वारा वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया है।	निस्तारित
4	श्री दीवान सिंह, 202/3 जागृति विहार मेरठ मो० नं०-9897161727	ग्रीन बैल्ट में अतिक्रमण, सड़क की जगह पर स्थाई निर्माण एवं रहने के लिये आवंटित प्लॉट पर बारात घर, गेस्ट हाउस और किराये गोदाम आदि व्यवसायिक अवैध कार्य के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1416/ जी-19/ 44 दिनांक 18.6.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि ग्रीनबैल्ट व सड़क की भूमि से	निस्तारित

					अतिक्रमण को हटाये जाने का कार्य नगर निगम मेरठ द्वारा कराया जाना है।	
5	श्री दीवान सिंह, 202/3 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0-9897161727	मकान संख्या-831/2 शास्त्रीनगर एवं पीछे मकान को मिलाकर कुटीर उद्योग संचालित करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1571/जी-19/ 48 दिनांक 14.7.15 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि भवन सं0-831/2 व उसके पीछे का स्थलीय निरीक्षण कराया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवसायिक/ कुटीर उद्योग संचालित होना नहीं पाया गया एवं न ही किसी प्रकार की भट्टी/ कैमिकल पाया गया है। उक्त भवनों का आवासीय उपयोग किया जा रहा है। अतः परिषद दिवस में आपके द्वारा की गयी उक्त शिकायत तदानुसार निस्तारित की जाती है।	निस्तारित
6	सरदार मंगल सिंह गिल, मो0 नं0-58/3 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0-8791948010	गुरुद्वारे हेतु भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, मेरठ के पत्रांक 901/एम-13/ 33 दिनांक 23.6.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि वर्तमान में इस खण्ड के अधीन जागृति विहार विस्तार योजना सं0-11 मेरठ में किसी धर्म विशेष हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। भविष्य में यदि कोई संस्थागत भूखण्ड योजना में सृजित होता है तो नियमानुसार उसकी नीलामी/ आवंटन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयस, मेरठ द्वारा की जायेगी।	निस्तारित
7	श्रीमती नीतू वर्मा, 426 न्यू गोविन्दपुरी, टंकी चौपला, कंकरखेड़ा मेरठ, मो0 नं0-9258577322	नामान्तरण कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक मेरठ के पत्रांक 3261 दिनांक 10.7.15 द्वारा आवेदिका को भवन नामान्तरण के सम्बन्ध में पूर्ण औपचारिकताओं से	निस्तारित

					अवगत करा दिया गया है।	
8	श्री वीरेन्द्र स्याल, ए-99, नेहरू कालोनी देहरादून, मो0 नं0 09897165744	भवन संख्या-ए-99 के आगे 06 मी0 चौड़ी सड़क को नियम विरुद्ध तरीके से ए-101 को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	वृत्त कार्यालय के पत्रांक 2228/ जी-75/ 143 दिनांक 16.9.2015 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रकरण में मुख्यालय के पत्रांक 23/ स0प्र0-3/ 81/ 42 दिनांक 05.1.15 द्वारा वांछित सूचनाएं वृत्त के पत्रांक 965/ अधी0अभि0-2/ जी-75/ 73 दिनांक 28.4.15 द्वारा पूर्व में ही मुख्यालय प्रेषित की जा चुकी हैं, तदानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।	निस्तारित
9	श्री प्रीतम लाल चाचरा, डी-104, नेहरू कालोनी देहरादून, मो0 नं0-09719051801	भवन स्वामी डी-103 के अवैध रजिस्ट्रियों के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही एवं हाईकोर्ट से कम्पाउडिंग किये जाने सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा दिये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक देहरादून के पत्रांक 288/ दिनांक 26.6.15 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि शिकायत के फलस्वरूप संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन के पत्रांक 505/ मेरठ जोन/ जी-21 दिनांक 18.5.15 को प्राप्त निरस्तीकरण की अनुमति के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश सं0-285 दिनांक 25.6.15 द्वारा भूखण्ड सं0-डी-103 का आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।	निस्तारित